मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ 25/43/06/10-3 भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2009

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0

विषय: अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि से बेदखली की कार्यवाही बाबत।

संदर्भ: वन विभाग का ज्ञाप कमांक एफ 25/83/10-3/2004 दिनांक 21 जनवरी 2008

कृपया संदर्भित ज्ञाप का अवलोकन करें जिसके द्वारा यह निर्देश दिये गये कि उपरोक्त अधिनियम के अनुसार जो व्यक्ति दिनांक 13-12-05 को वनभूमि पर काबिज तथा आदेश दिनांक को भी काबिज है, उन्हें उक्त अधिनियम की परिभाषा पूर्ण करने वाले अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत निवासी के कब्जे की भूमि [redacted]खली की कार्यवाही तब तक न की जावे जब तक की ऐसे व्यक्ति के संबंध में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों के मान्यता व प्रकिया की कार्यवाही पूर्ण न हो जाये। यह भी निर्देश दिये गये है कि जिस किसी व्यक्ति को दिनांक 31-12-07 के पूर्व बेदखल किया गया है, उन्हें पुनः अतिकमण न करने दिया जाये तथा नये अतिकमण के समस्त प्रयासों को निष्प्रभावी किया जावे।

2. राज्य शासन के संज्ञान में कुछ प्रकरण आये हैं जिसमें यह आरोपित है कि दिनांक 13-12-05 के पूर्व के अतिकमणकारियों को भी वन विभाग द्वारा बेदखल किया जा रहा है जबकि उनके अधिकारों के सत्यापन के प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है।

3 अतः राज्य शासन एक बार पुनः यह निर्देश देता है कि जब तक अधिकारों के सत्यापन तथा मान्यता की प्रक्रिया पूर्ण न हो जावे, तब तक दिनांक 13-12-05 के पूर्व के काबिज अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परम्परागत वन निवासी के कब्जे के भूमि प्रर बेदखली की कार्यवाही न की जावे। जिन व्यक्तियों को दिनांक 31-12-07

से बेदखल किया गया है, उन्हें पुनः कब्जा न करने दिया जाये तथा नये अतिक्रमण के समस्त प्रयास विफल किया जावे।

(रतन पुरवार)
सचिव
म0प्र0शासन वन विभाग

पृ0कमांक एफ 25/83/10-3/2004 भोपाल,दिनांकः 25 सितम्बर,09

प्रतिलिपि-

1 प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल
2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी
3 प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य वन विकास निगम, भोपाल
4 समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय/क्षत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
5 समस्त कलेक्टर म0प्र0
6 समस्त वन मण्डलाधिकारी क्षेत्रीय/वन्यप्राणी

की ओर सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
म0प्र0शासन वन विभाग